

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-23/2017

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो

बनाम्

M/S Divya Enterprises

—: आदेश :-

25.08.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Divya Enterprises प्र० श्रीमति अर्चना शरण पति सुचित कुमार क्वा० नं०-2207, सेक्टर-12F बोकारो स्टील सिटी, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास, थाना सं०-30, खाता सं०-71, प्लॉट सं०-7308, रकबा-5.50 डी०) को गिरवी रखते हुए 30,00,000.00 (तीस लाख) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-30.09.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मुख्य प्रबंधक के द्वारा सरफेसी एक्ट-2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी के सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस बल की माँग की गई है ताकि शांति व्यवस्था भंग नहीं हो।

विपक्षी पिछले दो तिथियों से सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि विपक्षी के द्वारा आज तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण-पृक्षा दाखिल

- 5 -

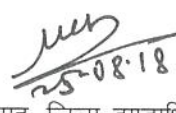
नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


25-08-18
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।